

अन्तर्गत नयाग 3 10वि0एवमू0व्य0अधि0

नौजा - अकोस, तहसील महावन(मथुरा)

आदेश

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रमोदीवान सिंह पुत्र वेदराम निवासी नगला सुखदेव-खण्ड अकोस तहसील महावन अध्यक्ष श्रीमती मन्तादेवी समाज उत्थान एवं शैक्षिक समिति ग्राम सुखदेव बुर्ज भाग अकोस तहसील महावन के द्वारा दिनांक 11-5-2010 को प्रार्थना पत्र नयाग पत्र के साथ इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मोजा अकोस वागर के खाता संख्या 575 खसरा संख्या 1495मि0 रकबा 405 है0लगान 14.00रू0 व खाता संख्या 874 ख.स. 1500/0.623 है0 लगान 17.25रू. व खाता संख्या 345 खसरा संख्या 1501/0.186 है0 लगान 9.20रू. कुल तीन किता कुल रकबा 1.214 है0 श्रीमती मन्तादेवी समाज उत्थान एवं शैक्षिक समिति ग्राम सुखदेव बुर्ज भाग अकोस अध्यक्ष दीवान सिंह पुत्र वेदराम निवासी नगला सुखदेव भाग अकोस श्रेणी 1-क संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज कागजात है। यह कि उपरोक्त भूमि में काफी क्षेत्रफल पर आवादी निर्माण हो चुका है तथा विद्यालय भवन भी तैयार हो चुका है। यह कि उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह कि उक्त भूमि कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वांगवानी पालन आदि के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अन्त में प्रार्थी ने अनुरोध है कि उक्त भूमि को आवादी घोषित किया जावे।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच नयाग तहसीलदार, राया से करायी गयी। नयाग तहसीलदार राया ने अपनी जांच आख्या दिनांक 15-5-2010 के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रार्थी मोजा अकोस वागर के खाता संख्या 575 खसरा संख्या 1495मि0 रकबा 405 है0लगान 14.00रू0 व खाता संख्या 874 ख.स. 1500/0.623 है0 लगान 17.25रू. व खाता संख्या 345 खसरा संख्या 1501/0.186 है0 लगान 9.20रू. कुल तीन किता कुल रकबा 1.214 है0 पर संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। यह कि उपरोक्त भूमि में 2 वर्ष से अधिक से कृषि, वांगवानी पालन, कुक्कुट पालन, एवं मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। यह कि विद्यालय की भूमि में मौके पर भूखे भगी है तथा पक्की आवादी बनी है। सभी खातेदार प्रार्थी के हिस्से की आवादी घोषित होने में सहमत है। उक्त आवादी घोषित की जाने वाली भूमि पर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं बतलाया गया है। (प्रति हेतु नकल खतौनी संलग्न है) अन्त में उपरोक्त भूमि को आवादी घोषित किए जाने हेतु जांच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

अतः प्रार्थी के स्वयं का शपथ पत्र व सहखातेदारों का शपथ पत्र एवं नयाग तहसीलदार, राया की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 15.5.10 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं मू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत मोजा अकोस वागर के खाता संख्या 575 खसरा संख्या 1495मि0 रकबा 405 है0लगान 14.00रू0 व खाता संख्या 874 ख.स. 1500/0.623 है0 लगान 17.25रू. व खाता संख्या 345 खसरा संख्या 1501/0.186 है0 लगान 9.20रू. कुल तीन किता कुल रकबा 1.214 को आवादी इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि पर कृषि कार्य होता पाया जाता है तो कृषि भूमि नानकार मू- राजस्व इत्यादि घोषित कर दिया जावे। तथा 6 माह तक आवादी विकसित न करने पर यह उद्घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी। यह आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

(समसिंह मीतम)

उप जिलाधिकारी, महावन

प्रतिलिपि- 1- तहसीलदार, महावन को दो प्रतियां इस निर्देश के साथ के अन्तर्गत में उक्तान करवाकर एक प्रति वापस भेजी जाय।

2- उप निबंधक महावन को दो प्रतियां इसलिये अन्तर्गत में उक्तान कर एक प्रति वापस भेजी जाय।

दीवान सिंह
अध्यक्ष

श्रीमती मन्तादेवी
अध्यक्ष

श्रीमती मन्तादेवी समाजोत्थान एवं शैक्षिक समिति
दिनांक 15.5.10